न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2016RAAJu075RLR038 Karanaram Vs State of Rajasthan etc

करणाराम पुत्र माधाराम जाट
निवासी सोपडा, तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर जोधपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर
3. राजस्थान राज्य औघोगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., (रीको) जोधपुर

----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बरखिलाफ आदेश जिला कलेक्टर, जोधपुर दिनांक 22 सितम्बर, 2014

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो संख्या एक व दो
रेस्पो. संख्या तीन की ओर से कोई उपस्थित नहीं

नि र्ण य

दिनांक : 08 नवम्बर 2019

सलाहकार (इन्फा) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेण्ट एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कॉरपोरेशन लि. जयपुर की मांग, उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के प्रस्ताव एवं खनि-अभियन्ता जोधपुर की अनापत्ति के अनुसार ग्राम सोपडा के खसरा संख्या 229 रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 229/1 मिन रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 229मिन रकबा 125 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 204 बीघा 03 बिस्वा राजकीय भूमियॉ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहत नवीन औघोगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु आरक्षित करते हुए विद्वान जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा पारित आदेश कमांक प.12(3--) राजस्व/सोपडा/रीको/आरक्षित/14/4058-63 दिनांक 22 सितम्बर 2014 के खिलाफ अपीलाण्ट ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 05 सितम्बर 2016 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। एक अन्य प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी में हितवद्ध व्यक्ति होना तथा अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्ष होना जाहिर करते हुए अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने हेतु पेश किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि अपीलाण्ट ग्राम सोपडा का निवासी है, वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 229 रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा बारानी चारम, खसरा संख्या 229/1 मिन रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा गैरमुमकिन मगरा एवं खसरा संख्या 229मिन रकबा 125 बीघा. 08 बिस्वा गैरमुमकिन मगरा कुल रकबा 204 बीघा 03 बिस्वा संवत 2059-2062 में. राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज थी, तत्पश्चात औघोगिक विकास हेतु अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पो. संख्या तीन के पक्ष में आवण्टित कर दी गयी। जिससे ग्रामवासी व्यथित है क्योंकि जो भूमि आवण्टित की गयी है, वह पायतन क्षेत्र है अर्थात जलाशयों के लिए पानी का आवक क्षेत्र है और उक्त आवण्टन के वाद जव उघोगों की स्थापना हो जायेगी तो एक ओर जहॉ इस भूमि से होकर पानी की आवक रूक जावेगी, वही दूसरी ओर जो पानी जलाशयों तक आवेगा, वह उघोगों का दूषित पानी होगा अथवा उघोगों के अपशिष्ट से मिलकर दूषित जल में वदल चुका पानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होगा। अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त और उक्त रिट याचिका में पारित आदेश के अनुसरण में राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना कमांक एफ04()विविध/पीसी/परा/11/2142 जयपुर दिनांक 30 नवम्बर 2011 में जारी दिशा-निर्देशों की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः ग्रामवासियों के हितों की रक्षार्थ अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनापत्र बाबत अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि जैसाकि निवेदन किया गया है कि जो भूमि आवण्टित की गयी है, वह पायतन क्षेत्र है अर्थात जलाशयों के लिए पानी का आवक क्षेत्र है और उक्त आवण्टन के बाद जब उद्योगों की स्थापना हो जायेगी तो एक ओर जहॉ इस भूमि से होकर पानी की आवक रूक जावेगी, वही दूसरी ओर जो पानी जलाशयों तक आवेगा, वह उद्योगों का दूषित पानी होगा अथवा उद्योगों के अपशिष्ट से मिलकर दूषित जल में बदल चुका पानी होगा। इससे गांव के प्रमुख जलाशय जो कि वर्तमान में गांव के पशुधन के लिए जलापूर्ति का स्रोत है, का अस्तित्व ही संकट में आ जावेगा। अतः अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी में प्रत्यक्ष हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है। जिसे अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अपील पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2014 पारित होने के बाद उसे निरस्त कराने हेतु ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिला कलेक्टर द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र की जांच करवाई गयी, जॉच के बाद उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित अधिकांश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथ्य सही पाये गये, इस कारण ग्रामवासियों को तहसीलदार भोपालगढ के मार्फत यह आश्वासन दिया गया कि आवण्टन निरस्त कर दिया जायेगा। मगर हाल ही में रीको द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर नीवें खोदी जाकर चारदीवारी का निर्माण करने एवं सफाई आदि की कार्यवाही की जाने लगी तो ग्रामवासियों को इस तथ्य की जानकारी हुई की उक्त आवण्टन निरस्त नहीं किया गया। अतः अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया गया और दिनांक 12 अगस्त 2016 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर आलौच्य अपील अदालत हाजा में पेश की गयी है। अतः अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्तां ने कथन किया कि अपीलाण्ट का यह कथन सर्वथा गलत है कि वादग्रस्त आराजी पायतन की भूमि है, जिस जलाशय का जिक अपीलाण्ट द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए वरसात का पानी अलग है। अपीलाधीन आदेश पारित होने के वाद ग्रामवासियों द्वारा अपीलाधीन आदेश अपास्त करने हेतु जिला कलेक्टर को जो प्रार्थनापत्र पेश किया था, उसके संवंध में जिला कलेक्टर द्वारा विन्दुवार जांच रिपोर्ट तलब की थी, उक्त जांच रिपोर्ट पटवारी हिंगोली द्वारा तहसीलदार भोपालगढ को प्रस्तुत की गयी, उसके अनुसार अपीलाधीन आदेश के जरिये किये गये आवण्टन से ग्रामवासियों के वादग्रस्त आराजियात में हित कतई प्रभावित नहीं होते है। अतः अपील सारहीन एवं मियाद-वाधित होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त वहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गयां एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

जहॉ तक धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, ग्रामवासियों से संबंधित मामला होने के अभिकथन मात्र के आधार पर

सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार अपील पेश करने में हुए विलम्ब को भी न्यायहित में क्षमा किया जाकर मामला गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझती है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

प्रथमतः अपीलाण्ट ने अपील मीमो में ही आवण्टित भूमि के खसरा नम्बर, रकबा तथा किस्म अंकित की है जिसमें आवण्टित भूमि की किस्म "पायतन" नहीं है।

अपीलाधीन आदेश पारित होने के बाद ग्रामवासियों द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर को औद्योगिक क्षेत्र पर पुनर्विचार हेतु प्रार्थनापत्र दिया था, स्वयं इस बावत अपने मियाद-प्रार्थनापत्र में अपीलाण्ट द्वारा भी जिक्र किया गया है। इस संबंध में तलब किये जाने पर जो रिपोर्ट तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष पटवारी हिंगोली द्वारा ***3 मार्च 2016*** को पेश की गयी है, उसमें विन्दु आठ से दस में वर्णित विवरण इस प्रकार है --

8. ***सिवली तालाब में पानी पहाड से आता है।*** पानी आवक के मध्य में औद्योगिक क्षेत्र का आंशिक क्षेत्र है। भोपालगढ़ की सरहद के पास प्राकृतिक बाळी है। ***प्राकृतिक बाळी औद्योगिक क्षेत्र के आवण्टन क्षेत्र की पूर्वी सीमा पर है। आंशिक औद्योगिक क्षेत्र में प्राकृतिक बाळी आती है।***
9. सोपडा की सरहद में राज्य सरकार द्वारा निर्मित खडीन है। इस खडीन से पहाडियों की दूरी लगभग दो किलोमीटर है। खडीन भरने पर सिंचाई न की जाकर खडीन के अन्दर के खेतों में चना, तारामीरा की काश्त होती है।
10. खसरा नम्बर 229 में औद्योगिक क्षेत्र को आवण्टित भूमि राजस्व रेकर्ड में ***बारानी चारम व गैर मुमकिन मगरा किस्म की है।*** पानी आवक भोपालगढ सरहद के पास की प्राकृतिक बाळी जो पहाडो के पानी की है। ***औद्योगिके क्षेत्र***

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को आवण्टन क्षेत्र सीमा में प्राकृतिक बाळी की लम्बाई में लगभग 15 जरीब (990 फीट) एवं चौडाई में 30 फीट है। यह आंशिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित है। खसरा नम्बर 229 की राजस्व रिकार्ड में किस्म बारानी चारम व गैरमुमकिन मगरा दर्ज होने से है| आवण्टित क्षेत्र में सम्मिलित है। खसरा संख्या 229/3 गैरमुमकिन नाडी है जिसका आवण्टनं नहीं किया गया है।

ग्रामवासियों द्वारा अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाने हेतु की गयी कार्यवाही के कम में जिला कलेक्टर द्वारा पुनः समीक्षार्थ मंगाई गयी रिपोर्ट में मुख्य अंशो के अवलोकन से स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है कि जो आशंकाएँ अपील मीमों एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अदालत हाजा के समक्ष जाहिर की गयी है, उपरोक्त समीक्षा-प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में निर्मूल पायी जाती है। इसके अलावा पत्रावली में ग्राम पंचायत हीरादेसर का वादग्रस्त भूमि को रीको को आवण्टन कर दिये जाने बाबत अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक 1-3-13 भी है।

अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है और विद्वान जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 8/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर